

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फॉर्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी भरे जाने के लिए)

1- परियोजना विवरण:-

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में हनुमानचट्टी से पिडकी मदेश मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

- (क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना संलग्न है।
स्कीम का संक्षिप्त विवरण।
- (ख) 1.50.000 स्केल मैप पर वन भूमि — 1.50.000 का मानचित्र संलग्न है
और उसके आस पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप
- (ग) परियोजना की लागत — लाख
- (घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य — अन्य समरेखण से मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।
- (ङ) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये — संलग्न है।
- (च) रोजगार जिसके पैदा होने की सम्भावना है। — क्षेत्र में अस्थाई रूप से क्षेत्रवासियों को रोजगार मिलेगा एवं क्षेत्र में उपज का मूल्य बाजार दर पर मिलेगा, तथा क्षेत्र में यातायात का लाभ मिलेगा।
- 2- कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण
- | | | |
|---|-----------------|--------------|
| 1 | आरक्षित वन भूमि | — 0.8586 हे० |
| 2 | सिविल सोयम भूमि | — 2.0265 हे० |
| 3 | वन पंचायत भूमि | — |
| | कुल वन भूमि | — 2.598 |

3- परियोजना के कारण लोगो को हटाने का विवरण यदि कोई हो।

(क) परियोजना की संख्या - शून्य

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या - शून्य

(ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) - शून्य

4- क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है (हाँ/नहीं) - नहीं

5- प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके - क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम संलग्न है एवं पन: वनीकरण की वचनबद्धता संलग्न है।

अनुसंधान और या दण्डास्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र यदि में पुन: वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)

6- निर्देशो के अनुसार संलग्न अपेक्षत प्रमाण पत्रों/दस्तावेजो का ब्यौरा - निदेशानुसार प्रमाण-पत्र संलग्न है

दिनांक

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

स्थान

प्रस्ताव की कम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट

अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट काशी

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

परियोजना स्कीम का स्थान:-

- | | | | |
|--------|---|---|---|
| (i) | राज्य संघ शासित क्षेत्र | — | उत्तराखण्ड राज्य |
| (ii) | जिला | — | उत्तरकाशी |
| (iii) | वन प्रभाग | — | अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट |
| (iv) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टर में) | — | आरक्षित भूमि — 0.8685 है०
सिविल सोयम — 2.0265 है०
वन पंचायत भूमि — है०
कुल वन भूमि — 2.598 है० |
| (v) | वन की कानूनी स्थिति | — | सिविल सोयम वन पंचायत भूमि |
| (vi) | हरियाली का घनत्व | — | |
| (vii) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना संलग्न की जाय सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल०-8 मीटर पर परिगणना भी संलग्न किया जाये। | — | मोटर मार्ग के निर्माण में वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जिनकी सूची संलग्न है। |
| (viii) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | — | संलग्न है। |
| (ix) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा में अनुमानित दूरी | — | अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण वन की सीमा से दूरी। |
| (x) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व बाध रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जायें) | | |
| (xi) | क्या क्षेत्र की वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ /सकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि है/ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। | — | नही |
| (xii) | क्या सुरक्षित पुरातात्विक/प्रारम्भिक स्थल/ रथा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक | — | नही |

क्षेत्र में स्थित है यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो या।

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांच गए विकल्पों के ब्यौरो के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है प्रस्तावक विभाग द्वारा दर्शित भूमि न्यूनतम व अपरिहार्य है।

निजी (वन अधिनियम का उलंघन नहीं है)

प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र, अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इनकी दूरी भू-खण्डों की संख्या

आरक्षित वन भूमि से लगभग कि०मी० की दूरी पर स्थित है 1.50000 पैमाने का मानचित्र संलग्न है प्रतिपूरक वनीकरण में किया जाना प्रस्तावित है।

की प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।

(ii) प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

1.50000 पैमाने का मानचित्र संलग्न है।

(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।

(vi) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

चयनित प्रजातियां प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से उचित चयन की गयी है तथा हस्ताक्षरित है

11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम (xi, xii) 8 और 9 में पुछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

संलग्न है

12. विभाग/जिला प्रोफाइल

अपर यमुना वन प्रभाग जिला उत्तरकाशी

(i) जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल

हे०

- (ii) जिले का वन क्षेत्रफल हे०
 (iii) मामले की संख्या सहित 1980 से हे०
 वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।
 (vi) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल हे०
 प्रतिकूल वनीकरण।
 (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित
 वन भूमि
 (ख) वनेत्तर भूमि परतक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति।
 (क) वन भूमि पर। हे०
 (ख) वनेत्तर भूमि पर। हे०

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को
 अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक
 की विशेष सिफारिश

दिनांक

हस्ताक्षर.....

नाम.....

स्थान

सरकारी मोहर.....

(प्रपत्र-2.2)

भाग (III)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। क्या
 इसका संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं)
 यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को
 निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
 15. क्या संबन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और
 उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
 16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबन्धित वन संरक्षक
 की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

दिनांक

हस्ताक्षर.....

नाम और पदनाम

स्थान

सरकारी मोहर.....

(प्रपत्र-2.3)

भाग-(iv)

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राज देते समय संबन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।)

दिनांक

हस्ताक्षर.....

नाम और पदनाम

स्थान

सरकारी मोहर.....

(प्रपत्र-2.4)

भाग- (V)

वन विभाग को प्रभारी अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

16. राज्य सरकार की सिफारिश प्रस्ताव स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अग्रसारित (उपयुक्त भाग- II या भाग III या भाग IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जायें।)

दिनांक

हस्ताक्षर.....

नाम और पदनाम

स्थान

सरकारी मोहर.....